

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 6(17)प्र.सु./अनु.3/2002

जयपुर, दिनांक 7.12.2009

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.6.2002 के अतिक्रमण में राज्य के ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त संमस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पूजा स्थलों के प्रबन्धन एवं वांछनीय उचित व्यवस्था करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर निम्नलिखित नवीन स्थायी समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	पदाधिकारी	समिति में पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	संबंधित तहसील का तहसीलदार	उपाध्यक्ष
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग का संबंधित तहसील का सहायक अभियन्ता या उनके द्वारा नामित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	सदस्य
4	संबंधित तहसील के विद्युत निगम का सहायक अभियन्ता	सदस्य
5	संबंधित पंचायत समिति का विकास खण्ड अधिकारी (BDO) द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रसार अधिकारी से कम स्तर का नहीं हो	सदस्य
6	संबंधित पुलिस थाने का मार साधक अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जो सहायक उप निरीक्षक से कम स्तर का नहीं हो	सदस्य
7	संबंधित वृत्त का सहायक आयुक्त, देवस्थान अथवा संबंधित वृत्त का निरीक्षक, देवस्थान अथवा संबंधित वृत्त के सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा नामित विभागीय कार्मिक	सदस्य-सचिव (समन्वयक)

उक्त समिति द्वारा निम्न कार्यो को सम्पादित किया/कराया जायेगा :-

1. संबंधित तहसील के अन्तर्गत के ग्रामीण अंचलों में स्थित धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों से संबंधित समस्त चल व अचल सम्पत्तियों को सूचीबद्ध किया जाकर उपलब्ध सूची से मिलान करेगी एवं उसका भौतिक सत्यापन का मौका रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड अधिकारी/सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को प्रस्तुत करेगी।
2. उक्त समिति धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों में परम्परा और आस्था के अनुरूप पुजारियों व अन्य कर्मचारियों द्वारा भोगराग, पूजा अर्चना आदि की क्रियाये विधि विधान से सम्पन्न कराई जा रही है अथवा नहीं, की समीक्षा करेगी।
3. उक्त समिति मंदिरों को धार्मिक आध्यात्मिक एवं सामाजिक सरोकारों का केन्द्र बनाने, मंदिरों में उत्सव आदि आयोजित कराने तथा श्रृंखलाओं को मंदिर से जोड़ने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।
4. मंदिर के भवन एवं उसकी सम्पत्तियों की मरम्मत/विकास की आवश्यकता प्रतीत होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं एस्टीमेट (तख्तीना) तैयार करेगी।
5. मंदिरों की दैनिक क्रिया तथा विशेष क्रिया आदि के समय एवं सुचारु व्यवस्था का समन्वय करने का कार्य करेगी। मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर समय-समय पर भरे

- जाने वाले मेलों/उत्सवों आदि के समय श्रद्धालुओं की सुरक्षा यातायात व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं यथा धूप-छाया, पाने के पानी, शौच व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था, खान-पान व्यवस्था करायेगी तथा मेलों और उत्सवों व अन्य स्रोतों से मंदिर की आय में वृद्धि करने के लिए यथा संभव प्रयास करेगी।
6. ग्रामीण अंचलों में स्थित धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण, नाजायज कब्जे तथा अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेवारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने की कार्यवाही करने के साथ-साथ उन्हें मुक्त कराने हेतु संबंधितों के विरुद्ध फांसी कार्यवाही अमल में लाने का कार्य करेगी।
 7. धार्मिक स्थलों की भूमि का उचित प्रबंध एवं उचित व्यक्तियों को कारत हेत अस्थायी रूप से आवंटित करेगी एवं इससे प्राप्त होने वाली आय को मंदिर के प्रबंध/सेवा पूजा/मंदिर का विकास/जीर्णोद्धार तथा धार्मिक आयोजनों पर उचित व्यवस्था कर प्रयुक्त करायेगी। यह समिति मंदिरों के विकास हेतु श्रद्धालुओं को भी आने के लिए प्रेरित करेगी।
 8. समिति विशेष तौर पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित विभागेन्तर मंदिरों तथा उनके साथ दानदाताओं द्वारा मंदिर को दी गई सम्पत्तियां/आबादी भूमियां/राजस्व की कृषि भूमियां संलग्न है, पर विशेष ध्यान देकर उन पर नजर रखेगी तथा जहाँ पुजारी/सेवायत अनुपलब्ध है अथवा पुजारी/सेवायत समिति से सहयोग/सहायता चाहते हैं, वहाँ समिति उपयुक्त कार्यवाही सुझायेगी/अमल में लाएगी।
 9. समिति मंदिरों में बिजली एवं पानी के कनेक्शन आदि मंदिर के नाम से लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत होगी। इस हेतु देवस्थान विभाग से किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
 10. समिति की न्यूनतम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित की जानी आवश्यक होगी। बैठक की सूचना संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा सभी संबंधित को समय से पूर्व अविलम्ब देनी होगी एवं बैठक का कार्यवाही विवरण की प्रति भी आवश्यक रूप से संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा सभी संबंधित को भेजी जानी होगी।
8. उपरोक्त समिति का प्रशासनिक विभाग देवस्थान विभाग होगा।

आज्ञा से,


7.12.08
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय देवस्थान मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय देवस्थान राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

- 369
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
 7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
 8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विस्त विभाग।
 9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग।
 10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
 11. समस्त संभागीय आयुक्त
 12. समस्त जिला कलेक्टरसं
 13. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
 14. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर (प्रथम) जयपुर (द्वितीय) / अजमेर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर / वृन्दावन / जोधपुर / उदयपुर / ऋषभदेव।
 15. उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
 16. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
अनुमोदनाधिकारी